मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(मकान किराया भत्ता)
विनियम, 1975

BOMBAY PORT TRUST EMPLOYEES
(HOUSE RENT ALLOWANCE)
REGULATIONS, 1975

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(मकान किराया भत्ता)
विनियम, 1975

विषयवस्तु

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. प्रयुक्ति
3. परिभाषाएं
4. भत्ते कि दरें
5. मकान किराया ग्राह्य नहीं ऐसे मामले
6. दूसरे कर्मचारी को आबंटित निवास में हिस्सेदारी को अनुमति प्रदान करने पर ग्राह्य भत्ता.
7. संयुक्त आबंटन के मामले में भत्ते का विनियमन
8. अव-मानक निवास के लिए बाजार किराया का भुगतान करके मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का विकल्प
9. निजी मकान धारक कर्मचारी
10. विभिन्न परिस्थितियों में भत्ते का विनियमन
11. किराया मुक्त निवास के बदले में मकान किराया भत्ता.
12. श्रेणी I या श्रेणी II कर्मचारी द्वारा 160 रु प्रति माह की सीमा की शर्त के अधीन रहते हुए वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक उच्चतर दर से भत्ते का दावा करने हेतु कार्य पध्दति.
13. किराया मुक्त निवास के लिए छूट के हकदार तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक उच्चतर दर से भत्ते का दावा करने हेतु कार्य पध्दति.
14. प्रमाणपत्र
15. अर्थनिर्णय
16. रद्द करना एवं बनाए रखना

अनुलग्नक I -ए
अनुलग्नक I -बी
अनुलग्नक II
अनुलग्नक III

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(मकान किराया भत्ता)
विनियम, 1975

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (1) की आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है, जो धारा 124 की उपधारा (2) की आवश्यकतानुसार सरकारी राजपत्र में पहले ही दो क्रमिक प्रकाशन में प्रकाशित किये हैं जिनके नाम हैं -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) विनियम, 1975[1] कहे जा सकते हैं.

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में सरकार की मंजूरी के प्रकाशन की तिथि[2] से लागू होंगे.

2. प्रयुक्ति -इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित हुआ हो तो ये विनियम मंडल के प्रत्येक कर्मचारी को लागू होंगे, लेकिन उन कर्मचारियों को लागू नहीं होंगे जो -

(ए) आकस्मिक या अंशकालिक सेवा में होनेवाले व्यक्ति;

(बी) आकस्मिक कार्य के लिए भुगतान किये जानेवाले व्यक्ति;

(सी) केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से मर्यादित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये व्यक्ति;

(डी) वेतन के तदर्थ या व्यक्तिगत दरों के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जबतक उनके नियुक्ति की मंजूरी आदेश में उन्हें वेतन के अलावा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का विशेष प्रावधान न हो.

(ई) प्रशिक्षु व्यक्ति.

3. परिभाषायें - इन विनियमों में जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(ए) 'मंडल', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' तथा 'विभाग प्रमुख' के अर्थ वहीं है जो उन्हें महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) में क्रमश: दिये गये हैं.

(बी) 'कर्मचारी' से तात्पर्य है मंडल का कर्मचारी;

(सी) 'वेतन' अर्थात मुंपोट्र वेतन तथा भत्तों का सारसंग्रह, अवकाश तथा पेंशन नियम, 9 वीं आवृत्ति में अनुच्छेद 11(11) में यथा परिभाषित वेतन और जहां ग्राह्य है वहां इसमें 'महँगाई वेतन' का समावेश है.

---

1 *मंडल द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 1975 की न्या.संकल्प सं.685 द्वारा तथा केंद्र सरकार ने एमओएसटी के दिनांक 20.4.1976 के पत्र सं. पीईबी(4)/76 द्वारा स्वीकृत.*

2 *दि. 6 मई 1976 से प्रभावी.*

(डी) (i) 'श्रेणी I पद' अर्थात वह पद जिसका वेतन या वेतन श्रेणी उच्चत्तम 1100 रु अथवा उससे अधिक हो;

(ii) 'श्रेणी II पद' अर्थात वह पद जिसका वेतन या वेतन श्रेणी उच्चतम 650 रु से अधिक हो परंतु 1100 रु से अधिक न हो;

(iii) 'श्रेणी III पद' अर्थात वह पद जिसका वेतन या वेतन श्रेणी का उच्चतम 160 रु से कम न हो और 650 रु से अधिक न हो;

(iv) 'श्रेणी IV पद' अर्थात वह पद जिसका वेतन या वेतन श्रेणी का उच्चतम 160 रु हो या उससे कम हो;

(ई) 'परिवार' का तात्पर्य है कर्मचारी की पत्नी या पति, जो भी हो, उसके साथ रहनेवाले और उसपर पूर्णत: निर्भर बच्चे तथा अन्य व्यक्ति. पति, पत्नी, लडका/लडकी या माता-पिता जिनके आय का स्वतंत्र स्त्रोत है उन्हें कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा सिवाय कि ऐसी आय, पेंशन का समावेश करते हुए (पेंशन में अस्थायी वृध्दि तथा मृत्यू-एवं-सेवानिवृत्ति लाभ के बराबर पेंशन सहित) प्रतिमाह 250 रु से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(एफ) 'किराया' का तात्पर्य है -

(i) यदि कर्मचारी किरायेदार है तब उसके कब्जे में होनेवाले बिना साज-सज्जा फर्निचर के मकान के प्रतिफल के लिए कब्जेदार द्वारा कानूनन देय महानगर पालिका तथा अन्य करों (यथावत वर्णित तथा अलग से लगाये गये सेवा करों के अलावा) का समावेश करते हुए भुगतान किये गये प्रभार
बशर्ते कि -

(ए) ऐसा मामला जिसमें समेकित कर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है और सेवा कर अलग से नहीं लगाया तथा तदनुसार वर्णित किया गया है तब संपूर्ण कर को किराये का संघटित भाग माना जाएगा;

(बी) यदि मकान में रेफ्रिजरेटर उपलब्ध किया गया है (अन्यथा मकान बिना फर्निचर का होगा) तब मकान के लिए भुगतान किये गये कुल प्रभार से 15 रु घटाने के बाद की राशि को किराया माना जाएगा;

(सी) यदि मकान फर्निचरयुक्त है तब मकान के लिए भुगतान किये गये कुल प्रभार में से कर्मचारी के वेतन के 2.1/2 प्रतिशत के बराबर की राशि घटाने के बाद की राशि को किराया माना जाएगा;

<u>स्पष्टीकरण</u> : विद्युत सीलिंग पंखे लगाये गये मकान को फर्निचर युक्त मकान नहीं माना जाएगा यदि वह अन्यथा बिना फर्निचर का हो.

(डी) यदि फर्निचर युक्त मकान में रेफ्रिजरेटर का भी समावेश है, तो उप-धारा (सी) अंतर्गत निर्धारित शुध्द राशि से 15 रु घटाने के बाद की राशि को किराया माना जाएगा;

(ई) ऐसे मामले में जब कर्मचारी उसके परिवार के सदस्य नहीं है ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, चाहे वह मुंपोट्र के कर्मचारी हो या न हो, को उसके मकान का कुछ हिस्सा किराये पर देना है या उसके साथ भागीदारी तत्वों पर किराये पर रहते है तब मकान के लिए उसके द्वारा मालिक को प्रत्यक्ष भुगतान किया गया प्रभार से 40 % घटाकर रही राशि, या उसके द्वारा उप किरायेदार या सह-भागीदार से वसूल की गयी प्रत्यक्ष राशि, जो भी अधिक हो, को किराया माना जाएगा.

<u>टिप्पणी (1)</u> - मकान में नौकर रखने का मतलब निवास किराये पर दिया या उसका भाग सहभागी तत्वों पर दिया ऐसा नहीं होगा.

टिप्पणी (2) - ऐसे मामले में जब कर्मचारी अपने मकान में अपनी पत्नी/अपने पति/ माता-पिता/ लडका/लडकी जो केंद्र या राज्य सरकार या अन्य स्वायत्त या महानगरपालिका जैसे अर्धसरकारी संगठन के कर्मचारी है, के साथ सहभागी तौर पर रहता है और यदि पति-पत्नी/ माता-पिता/ लडका/लडकी कुछ भी मकान किराया प्राप्त नहीं करते हैं तो उसे 40 प्रतिशत की कटौती न करते हुए मालिक को मकान के लिए भुगतान किये गये राशि को संपूर्ण प्रभार मानने का विकल्प खुला है.

(ii) यदि कर्मचारी मकान मालिक है, तब मरम्मत के लिए 10 प्रतिशत के छूट की कटौती न करते हुए परंतु अलग से लगाये गये तथा तद्नुसार वर्णित सेवा तथा अन्य करों जो कब्जेदार द्वारा कानूनन देय है, के अलावा महानगरपालिका तथा अन्य करों का समावेश करके महानगरपालिका प्रयोजनों के लिए मकान का मूल्य निर्धारित कुल किराया मूल्य.

(iii) यदि कर्मचारी छात्रावास(होस्टल) या भोजन व्यवस्थासह मकान में रहता है या अदाकर्ता मेहमान के रूप में निजी परिवार के साथ रहता है एवं भोजन लेता है तब कर्मचारी भुगतान किये गये निवास तथा भोजन प्रभार के 40% के समतुल्य राशि या यदि भोजन नहीं लेता है तो कर्मचारी द्वारा भुगतान किये गये निवास प्रभार के 80% के समतुल्य राशि.

(जी) इसमें उपयोग किये गये शब्द तथा अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं किये गये है परंतु वे मुंपोट्र वेतन एवं भत्तों का सारसंग्रह, अवकाश एवं पेंशन नियम, 9वीं आवृत्ति या मुंपोट्र कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1975 में परिभाषित किये गये हैं; उनका अर्थ मुंपोट्र वेतन एवं भत्तों का सारसंग्रह, अवकाश एवं पेंशन नियम, 9वीं आवृत्ति या मुंपोट्र कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1975 में दियेनुसार होगा.

4. भत्ते की दरें

(1) कर्मचारियों को मंजूर किये जानेवाले मकान किराया भत्तों की दरें निम्न प्रकार होगीः

(i)	श्रेणी I या श्रेणी II के पद धारण करनेवाले कर्मचारी	वेतन के 16 प्रतिशत, बशर्ते कि अधिकत्तम 160 रु प्रतिमाह. तथापि, यदि वह 1000रु या कम वेतन प्राप्त करता है और यदि कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया प्रत्यक्ष किराया उसके वेतन के 26 प्रतिशत से ज्यादा होगा या यदि वह 1000 रु से ऊपर वेतन प्राप्त करता है और कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया प्रत्यक्ष किराया उसके वेतन के 10 प्रतिशत जोड 160 रु से ज्यादा होता है तब ग्राह्य भत्ता होगा वह राशि जिससे प्रत्यक्ष भुगतान मकान किराया उसके वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक होगा, उसके वेतन के 20 प्रतिशत मर्यादित तक, या 300 रु, इसमें से जो भी कम हो. बशर्ते कि उसके द्वारा किराये पर लिए गये मकान की श्रेणी उसके वेतन एवं दर्जा के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी और कर्मचारी उसके द्वारा भुगतान किये गये किराये की पावती प्रत्येक छः महीने को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा.
(ii)	श्रेणी III या श्रेणी IV के पद धारण करनेवाले कर्मचारी	वेतन का 16 प्रतिशत, बशर्ते कि वह न्यूनतम 20 रु. प्रतिमाह हो.

(2) इस विनियम मे अन्यथा उपबंधित प्रावधान होते हुए श्रेणी III या श्रेणी IV पद धारण करनेवाले कर्मचारियों को प्रतिमाह उनके वेतन के 16 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा बशर्ते कि यदि वह प्रतिमाह न्यूनतम 20 रु या श्रेणी I या श्रेणी II पद धारण करता हो तो उसे उनके वेतन के 16 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा बशर्ते कि अधिकत्तम 160 रु. प्रतिमाह यदि वह श्रेणी I या श्रेणी II का पद धारण करता हो. इसके लिए किराया पावती की प्रस्तुति और सत्यापन तथा उसके द्वारा भुगतान किये गये प्रत्यक्ष किराये के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है.

5. मकान किराया ग्राह्य नहीं ऐसे मामले -

(1) ऐसे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर नहीं होगा -

(i) जो पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उसे आबंटित निवास का कब्जेदार है; या

टिप्पणी: इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए जिस कर्मचारी को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शयनागार निवास आबंटित किया गया है उसके पास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आबंटित मकान का कब्जा है ऐसा नहीं माना जाएगा.

(ii) जो पोर्ट ट्रस्ट के निवास में अनधिकृत तौर पर रहता है; या

(iii) जो दूसरे कर्मचारी को आबंटित किराया मुक्त निवास में भागीदारी से रहता है.

(2) ऐसे कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मंजूर नहीं किया जाएगा -

(i) जो उसे आबंटित निवास कब्जे में नहीं लेता है या लेने का इन्कार करता है परंतु जिसे उस निवास का कब्जेदार माना जाता है और मुंपोट्र कर्मचारी (निवास का आबंटन एवं अधिभोग) विनियम, 1975 के विनियम 10 का उप-विनियम (2) में विर्निदिष्ट अवधि के लिए किराया लगाया जाता है, उसे जिस अवधि तक किराया लगाया जाता है उस अवधि तक किराया भत्ता मंजूर नहीं है.

(ii) जिसने स्वीकृति के बाद अपना आबंटन समर्पित किया हो परंतु समर्पण की विधिवत सूचना नहीं दी हो और मुंपोट्र कर्मचारी (निवास का आबंटन एवं अधिभोग) विनियम, 1975 के विनियम 19 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किराया लगाया गया हो तब ऐसा किराया उसे जिस अवधि के लिए लगाया गया है उस अवधि के लिए किराया भत्ता मंजूर नहीं है.

(3) जिस कर्मचारी ने पोर्ट ट्रस्ट निवास का आबंटन स्वीकार किया है उस कर्मचारी का मकान किराया भत्ता, कब्जा लेने की तिथि या उसके द्वारा आबंटन का प्राधिकार पत्र प्राप्त करने से चौदह दिन की समाप्ति, जो भी पहले हो, से या यदि प्रशासनिक प्राधिकारी ने मुंपोट्र कर्मचारी (निवास का आबंटन एवं अधिभोग) विनियम, 1975 के विनियम 10 का उप विनियम (1) के अंतर्गत उसके द्वारा आबंटन क प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की तिथि से अवधि चौदह दिन के उपर बढाई गयी हो तब इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि के समाप्ति पर या कब्जे में लेने की तिथि, जो भी पहले हो, से बंद किया जाएगा.

6. दूसरे कर्मचारी को आबंटित निवास में सहभागी को अनुमति प्रदान करने पर ग्राह्य भत्ता -

जब दूसरे कर्मचारी को किराया मुक्त आधार के अलावा अन्य प्रकार से आबंटित किये गये निवास में दूसरे कर्मचारी को प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा मुंपोट्र कर्मचारी (निवास का आबंटन एवं अधिभोग)

विनियम, 1975 के विनियम 17 के अंतर्गत कर्मचारी को अनुमति प्रदान की जाती है, तब उसे, परंतु आबंटन ग्राही को नहीं, अन्यथा ग्राह्य हो तो मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा.

7. संयुक्त आबंटन के मामले में भत्ते का विनियमन
जब एक से अधिक कर्मचारी (श्रेणी I या श्रेणी II पद धारण करनेवाले कर्मचारियों के अलावा) मुंपोट्र कर्मचारी (निवास का आबंटन एवं अधिभोग) विनियम, 1975 के विनियम 9 के अंतर्गत उन्हें संयुक्त रूप से आबंटित निवास के कब्जेदार होते हैं तब ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को अन्यथा उन्हें ग्राह्य 50 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा.

8. उप-दर्जा निवास के लिए बाजार किराया का भुगतान करके मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का विकल्प -

यदि कर्मचारी (श्रेणी I या श्रेणी II के पद धारण करनेवाले कर्मचारी के अलावा) पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उसे आबंटित उप-दर्जा निवास का कब्जेदार होता है और यदि वह मंडल द्वारा निर्धारित निवास के लिए बाजारी किराया भुगतान करने का चयन करता है तो अन्यथा उसे ग्राह्य मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जाएगा.

9. निजी मकान धारक कर्मचारी -

(1) यदि कर्मचारी अपने मालिकी के मकान में रहता है, तब उसकी पत्नी, बच्चे, पिता या माता को विनियम 3 की धारा (एफ) की उप धारा (ii) अंतर्गत निर्धारितनुसार मकान (या यदि वह संपूर्ण मकान का कब्जेदार नहीं है तो उसके प्रत्यक्ष कब्जे में होनेवाले मकान के हिस्से के लिए) के लिए होनेवाले किराये के आधारपर मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा. जब मकान के हिस्से के बारेमें अलग निर्धारित मूल्य नही हैं तब कर्मचारी के प्रत्यक्ष कब्जे में होनेवाले कुर्सी(प्लीन्थ) क्षेत्र को ध्यान में लेकर अनुपातिक मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा.

(2) हिंदू अविभक्त परिवार के मालिकी का मकान जिसमें वह सह-समांशी है, में रहनेवाले कर्मचारी के मकान किराया भत्ते का विनियमन उप विनियम (1) में निर्धारितनुसार किया जाएगा परंतु वह केवल उसके वास्तविक कब्जे में होनेवाले मकान के हिस्से से संबंधित ही होगा और हिंदू अविभक्त परिवार के प्रबंधक को भुगतान किये जाने के उसके दावेनुसार किराये के आधार पर नहीं होगा.

10. विभिन्न परिस्थितियों में भत्ते का विनियमन - निम्नलिखित परिस्थितियों में मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का विनियमन इसके आगे इसमें दिये गये प्रावधानोंनुसार किया जाएगा.

(ए) अवकाश :

(i) अवकाश के दौरान मकान किराया भत्ता उसी दर से मंजूर किया जाएगा जिस दर से अवकाश प्रारंभ होने के तत्काल पहले भत्ता मंजूर किया गया था. इस प्रयोजन के लिए, अवकाश का तात्पर्य है सभी प्रकार का कुल अवकाश, 120 दिनों से ज्यादा नहीं, और अवकाश की प्रत्यक्ष अवधि उक्त अवधि से ज्यादा है तो पहले 120 दिवस, परंतु इसमें सेवा-निवृत्ति के प्रारंभिक में लिया गया अवकाश, सेवा अन्त के प्रारंभ में लिया गया अवकाश, नामंजूर अवकाश या अंतिम अवकाश या चिकित्सा प्रमाणपत्र के अलावा लिया गया असाधारण अवकाश का समावेश नहीं है. जब छुट्टियां अवकाश के साथ जोडी जाती है तब छुट्टी और अवकाश की संपूर्ण अवधि अवकाश का एक अवसर माना जाएगा.

टिप्पणी- यदि कर्मचारी जिसे चिकित्सा प्रमाणपत्र पर 120 से अधिक दिनों का अवकाश मंजूर किया गया है वह बीमार-स्वास्थ्य के कारण आगे की

सेवा प्रदान करने के लिए अक्षम होने के आधार पर सेवा निवृत्त हुआ है तब संपूर्ण अवकाश को सेवा निवृत्ति के प्रारंभिक अवकाश मानने के तथ्य बावजूद भी उस अवकाश के संबंध में पहले ही प्राप्त किये गये मकान किराये भत्ते की वसूली नहीं की जाएगी.

(ii) कर्मचारी के चिकित्सा प्रमाणपत्र अवकाश पर होने के दौरान, चाहे अवकाश प्रारंभ से चिकित्सा प्रमाणपत्र पर हो या अन्य अवकाश के क्रम में हो, कर्मचारी क्षयरोग, कर्करोग या अन्य रोग से पीड़ित होता है तो ऐसे मामले में 120 दिनों की समय सीमा 8 महीने तक बढाई जाएगी.

प्रावधान है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी 8 महीने की समय सीमा उनके अकेले के निर्णयानुसार आगे ऐसी अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकते हैं.

प्रावधान है कि अवकाश के आवेदन को संलग्न चिकित्सा प्रमाणपत्र मंडल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए.

(बी) <u>भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति</u> :

कर्मचारी जिसे भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है उसे, मंडलांतर्गत भारत में उसके पद पर उसकी अनुपस्थिति से लेकर पहलेवाले छः महिने के लिए समय-समय पर ग्राह्य दर से मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा.

(सी) <u>भारत में प्रशिक्षण</u> :

कर्मचारी जिसे भारत में प्रशिक्षण या अनुदेश के पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया है और जिसका प्रशिक्षण या अनुदेश के पाठ्यक्रम की अवधि को कार्य अवधि (ड्युटी) माना गया है, उसके प्रशिक्षण या अनुदेश के पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए उसे समय-समय पर ग्राह्य दरनुसार मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा.

(डी) <u>निलंबन</u> :

निलंबन अंतर्गत कर्मचारी को वह निलंबन के तिथि को प्राप्त करता था उस वेतन के आधार पर मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी शर्तों पर जो उसके निलंबन के आदेशकर्ता प्राधिकारी ने निर्देशित की हो.

(ई) <u>पुनर्नियुक्ति</u> :

मंडल की सेवा में पुनर्नियुक्त किया है ऐसे कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा. प्रावधान है कि -

(ए) यदि वह निवृत्ति वेतन योजना द्वारा नियंत्रित है तो भत्ते का परिकलन जिस पद पर उसे पुन: नियुक्त किया है उस पद के अधिकतम वेतन के आधारपर किया जाएगा, यदि उसका वेतन एवं निवृत्ति-वेतन मिलाकर उस अधिकतम से ज्यादा होता है और अन्य सभी मामलों में उसका वेतन एवं निवृत्ति-वेतन मिलाकर उसके आधार पर किया जाएगा;

(बी) यदि वह अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा नियंत्रित है तो भत्ते का परिकलन जिस पद पर उसे पुनर्नियुक्त किया है उस पद पर वह जो वेतन प्राप्त करेगा उसके आधार पर किया जाएगा. यह मानकर कि सेवा निवृत्ति वेतन भोगी होने के कारण उसके सेवा-निवृत्ति लाभ के समतुल्य कटौति उसमें से नहीं की जाती थी.

11. <u>किराया-मुक्त निवास के बदले में मकान किराया भत्ता</u> -

(1) कर्मचारी जो श्रेणी III या श्रेणी IV पद धारक है और उसकी सेवा की शर्तोनुसार किराया मुक्त निवास की छूट के लिए पात्र है उसे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निवास उपलब्ध नहीं किया जाता उस अवधि के लिए उसके वेतन के 26 प्रतिशत की दर से या प्रत्यक्ष भुगतान किया गया

किराया, जो भी कम हो, के अनुसार मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा. बशर्ते कि उसके वेतन के 16 प्रतिशत न्यूनतम, या 20 रु प्रति माह जो भी मामला हो. यदि ऐसा कर्मचारी उसके वेतन के 16 प्रतिशत से उच्चतर दर से या 20 रु. प्रतिमाह जो भी मामला हो, मकान किराया भत्ते का दावा करता है तो वह उसके द्वारा भुगतान किये गये किराये की छः महीने की पावती सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा.

(2) यदि कर्मचारी, जो पोर्ट ट्रस्ट किराया-मुक्त निवास को पात्र है, उसे आबंटित निवास को लेने के लिए इनकार करता है या कब्जे में नहीं लेता है तो उसके द्वारा जिस तिथि को निवास कब्जे में लेना था उस तारीख से तथा जितनी अवधि तक निवास रिक्त रहता है उस अवधि तक वह कोई भी मकान किराया भत्ते को पात्र नहीं होगा. तत्पश्चात, कर्मचारी किराया-मुक्त निवास के बदले केवल साधारण दर से, उच्चतर दर मान्य नहीं होगा, मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा.

टिप्पणी : कर्मचारी जिसके लिए पात्र है, उससे निचले प्रकार का निवास कब्जे में लेने के इन्कार को इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए इन्कार नहीं माना जायेगा.

12. श्रेणी I या श्रेणी II कर्मचारी द्वारा 160 रु की सीमा के अधीन रहते हुए प्रति माह वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक उच्चत्तर दर से भत्ते का दावा करने की कार्य-पध्दति - श्रेणी I या श्रेणी II पदधारण करनेवाला कर्मचारी, जिसने 160 रु सीमा के अधीन रहते हुए प्रति माह वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक उच्चतर दर से मकान किराया भत्ते के लिए दावा किया है वह कर्मचारी उसके द्वारा प्रस्तुत मूल किराया पावती तथा अन्य दस्तावेज का सत्यापन करने के पश्चात मंडल के प्रबंधक (संगठन, सेवाएं एवं कार्यविधि) द्वारा उसे मंजूरी प्रदान करने के सिवाय इस प्रकार का पहला दावा प्राप्त नहीं करेगा. यदि किराया या किराये पर असर डालनेवाले अन्य मदों में परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ग्राह्य मकान किराया भत्ते में वृध्दि या घट होती है तब प्रबंधक (से.सं.का) के ताजा अनुमोदन के सिवाय यह भत्ता प्राप्त नहीं किया जाएगा. ऐसे कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई महीने में इस विनियम के परिशिष्ट 1-ए या परिशिष्ट 1-बी, जो भी मामला हो, के प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा.

13. किराया-मुक्त निवास छूट के लिए हकदार तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक उच्चतर दर से भत्ते का दावा करने की कार्य-पध्दति - तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी पद धारक और किराया मुक्त-निवास के लिए पात्र कर्मचारी, जो प्रतिमाह उसके वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक उच्चतर दर या 20 रुपये, जो भी मामला हो, से मकान किराया भत्ते का दावा करता है उस कर्मचारी से प्रस्तुत मूल किराया पावती और अन्य संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात जिस विभाग में वह तैनात है उस विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा मंजूरी प्रदान करने के सिवाय इस प्रकार का पहला दावा प्राप्त नहीं करेगा. यदि कर्मचारी द्वारा भुगतान किये गये किराये में परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप उसे ग्राह्य मकान किराया भत्ते में वृद्धि या घट होती है तब विभाग प्रमुख द्वारा नया सत्यापन करने के सिवाय कर्मचारी के वेतन के 16 प्रतिशत से उच्चतर दर या 20 रु प्रतिमाह, जो भी मामला हो, से मकान किराया भत्ते का परिकलन नहीं किया जाएगा. ऐसा कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई महीने में इस विनियम के परिशिष्ट II के प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा.

14. प्रमाणपत्र - विभाग प्रमुख या वेतनपत्रक निकालने के लिए प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक वर्ष में जनवरी और जुलाई महीने के वेतन पत्रक में इस विनियम के परिशिष्ट III के प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगें.

15. अर्थ निर्णय - इन विनियमों के अर्थ स्पष्टीकरण के संबंध में और सभी मामलों जो इसमें उपर्युक्त नहीं बताया गया, यदि कोई प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसमें अध्यक्षजी का निर्णय अंतिम होगा.

16. रद्द करना एवं बनाए रखना - इन विनियमों के अनुरूप तथा इन विनियमों के प्रारंभ के तत्काल लागू सभी आदेश एतद्द्वारा रद्द होंगे.

प्रावधान है कि इस प्रकार रद्द हुए आदेशों के अंतर्गत दिए गये कोई भी आदेश या की गयी कोई भी कार्रवाई इन विनियमों के अनुरूप प्रावधानों अंतर्गत दिए गये हैं या की गयी है ऐसा माना जाएगा.

विनियम 12 की शर्तों के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम 160 रुपये के सीमा के अधीन वेतन के 16 प्रतिशत से उच्चतर दर से मकान किराया भत्ता मंजूर करने के लिए श्रेणी I या श्रेणी II कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र.

---

1) मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं किराये का मकान _____ _____(मकान का पता) में _____ से _____ तक _____ रहता हूं और मैं _____ रु. के मासिक किराये का भुगतान करता हूं. इसमें निम्न का समावेश है /समावेश नहीं है.

ए) रेफ्रिजरेटर का किराया (अन्यथा बगैर फर्नीचर है तो) : 15 रु.

बी) मेरे वेतन के $2^1/_2$ प्रतिशत फर्नीचर किराया : _____ रु.

सी) किरायेदार द्वारा कानूनी तौर पर भुगतान न किये जानेवाला महानगरपालिका और अन्य करों का कब्जेदार का हिस्सा. : _____ रु.

डी) अलग से लगाये गये एवं तद्नुसार वर्णित सेवा कर. : _____ रु.

_____ अवधि के लिए.

* 2) मैं प्रमाणित करता हूं कि जिसके संबंध में भत्ते का दावा किया है वह निवास सामान्यतः जो मेरे परिवार के नहीं ऐसे अन्य द्वारा उप-किराये पर या कब्जे में नहीं है.

दिनांक _____

हस्ताक्षर _____
कर्मचारी का नाम _____
पदनाम _____
विभाग _____

_____
*लागू नहीं तो काट दीजिए

विनियम 9 के साथ पठित विनियम 12 की शर्तों के अनुसार प्रतिमाह 160 रुपये के सीमा के अधीन वेतन के 16 प्रतिशत से उच्चतर दर से मकान किराया भत्ता मंजूर करने के लिए श्रेणी I या श्रेणी II कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र

---

(1) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं स्वयं/ मेरी पत्नी / लडका/ लडकी / पिता / माता / हिंदू अविभक्त परिवार जिसमें मैं सह-संमाशी हूँ के मालिकी के मकान _____ (मकान का पता) में _____ से _____ तक रहता हूँ और महानगरपालिका प्रयोजनों के लिए निर्धारित उसका कुल मासिक किराया मूल्य (मरम्मत के लिए 10 प्रतिशत की छूट की कटौती न करते हुए) _____ रु है. इसमें निम्न का समावेश है/नहीं है.

(ए) मालिक द्वारा भुगतान किये जानेवाले महानगरपालिका तथा अन्य कर : _____रु.

(बी) अलग से लगाये गये तथा तदनुसार वर्णित सेवा कर :_____रु.

_____अवधि के लिए.

*(2) मै प्रमाणित करता हूँ कि जिसके भत्ते का दावा किया है वह निवास सामान्यत: जो मेरे परिवार के सदस्य नहीं ऐसे अन्य के कब्जे में नहीं है.

दिनांक:_____

हस्ताक्षर_____
कर्मचारी का नाम_____
पदनाम_____
विभाग_____

*लागू नहीं तो काट दीजिए

परिशिष्ट II

विनियम 13 की शर्तों के अनुसार वेतन के 16 प्रतिशत से उच्चतर दर से किराया मुक्त निवास के बदले मकान किराया भत्ता मंजूर करने के लिए किराया मुक्त निवास के लिए छूट को पात्र श्रेणी III या श्रेणी IV कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र.

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं किराये का मकान _____ _____(मकान का पता) में _____से_____ तक रहता हूँ और मैं मासिक_____किराया अदा करता हूँ. इसमें निम्न का समावेश है/नहीं है.

(ए) मालिक द्वारा भुगतान किये जानेवाले महानगरपालिका एवं अन्य कर : _____रु.

(बी) अलग से लगाये गये एवं तदनुसार वर्णित सेवा कर :_____रु. _____ अवधि के लिए.

दिनांक:_____

हस्ताक्षर_____
कर्मचारी का नाम_____
पदनाम_____
विभाग_____

परिशिष्ट III

विनियम 14 के संदर्भ में प्रतिवर्ष जनवरी तथा जुलाई के वेतन पत्रक निकालने वाले विभाग प्रमुखों अथवा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र.

(i) "प्रमाणित किया जाता है कि, उन सभी कर्मचारियों के मामले में जिनके लिए इस वेतन पत्रक में मकान किराया भत्ता निकाला जाता है उस भत्ते की पात्रता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) विनियम, 1975 के संदर्भ में सत्यापित की गयी है."

(ii) "प्रमाणित किया जाता है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) विनियम, 1975 के अन्तर्गत निर्धारित प्रमाणपत्र उन कर्मचारियों से प्राप्त किया गया है जिनके लिए मकान किराया भत्ता वेतन के 16 प्रतिशत के उच्चतर दर से निकाला गया है, बशर्ते कि न्यूनतम 160 रु, अथवा वेतन का 16 प्रतिशत बशर्ते के अधिकतम 20 रुपये प्रतिमाह, जो भी मामला हो, और मैं संतुष्ट हूँ कि दावे कथित विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार हैं."